

>**Title:** Situation arising out of the alleged killings of dalits in Jhajjar (Haryana) and Fatehpur Block in Bihar.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस तरह से करेंगे तो जीरो ऑवर नहीं होगा। मैं जीरो ऑवर लेना चाहता हूँ। इस इम्पोर्टेंट विषय पर बूटा सिंह जी, मैं आपको इजाजत देने वाला हूँ। इस पर तीन लोगों ने मुझे नोटिस दिया है, सुमन जी, रामविलास पासवान जी और रामदास आठवले जी के नोटिस मुझे मिले हैं।

उन तीनों को जो कहना है, वह कहेंगे। बाद में मैं बूटा सिंह जी को इजाजत दूंगा और फिर प्रकाश अम्बेडकर जी को इजाजत दूंगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I should also be allowed to speak as you have said that you will allow Sardar Buta Singh, Shri Ramji Lal Suman and others.

MR. SPEAKER: I am going to allow you also. Please sit down.

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उसको बाद में लेंगे। यह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। आप अपने नोटिस पर बोलिए।

â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह काम नहीं चलेगा। इससे आप सबको नुकसान होगा। दो दिन के बाद शून्य काल शुरू हो रहा है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री अवतार सिंह भडाना (भेरठ) : यू.पी. में किसान सड़कों पर उतर आया है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं। यह विषय बाद में आएगा। मैंने आपको नहीं, रामजी लाल सुमन को बुलाया है। बूटा सिंह जी आप भी बैठें, मैं आपको इजाजत दूंगा। सुमन जी आप शुरू करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे इतना ही अनुरोध है कि दो दिनों के बाद की जगह इस पर कल चर्चा करवा लें। उत्तर प्रदेश की मिलों का मामला बड़ा गम्भीर है।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, दशहरे के दिन बादशाहपुर में जो गुड़गांव और सोहना के बीच में है, वहां पर पांच लोग जो खाल का व्यापार करते थे, जिनके पास लाइसेंस था, ये लोग वहां से चले। वहां से इनको झज्जर पुलिस चौकी पर पकड़ा गया। सही मानो मैं यह बात थी कि उस पुलिस चौकी पर तीन हजार रुपया महीना जाता था। उस दिन दस हजार रुपए की और मांग की गई।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : मैं इस मामले में इंटरप्ट करूंगा कि जो सच्ची बात है, वही बोलें।

श्री रामजी लाल सुमन : पहले हमें बोल लेने दीजिए। आप अपनी बात बाद में कहना।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रामजी लाल सुमन को इजाजत दी है। मैं बीच में किसी को इजाजत नहीं दूंगा इसलिए आपका इंटरवेंशन नहीं सुनूंगा। आप प्रोसीजर का ध्यान रखें।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : यह हरियाणा से सम्बन्धित मामला है और मैं उस प्रदेश से आता हूँ।

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। इन पांच लोगों को पकड़ा गया। रिश्त के चक्कर में पुलिस ने एक आदमी की पिटाई की

कि उसकी हत्या हो गई। बाद में हवा बना दी गई कि यह गोकशी में शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन तमाशा देखते रहे। पुलिस चौकी के सामने इन लोगों को लाकर हत्या कर दी गई। अभी हमारे मित्र खड़े हुए थे और कह रहे थे कि वे गोकशी में शामिल थे यह हरियाणा सरकार की रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट में यह है कि भगतपुर में एक गाय की स्वाभाविक मौत हुई थी। उसका घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक तरफ विश्व हिन्दू परिद के लोग अकलियत की नीयत पर शक करते हैं, वहीं दूसरी ओर दलितों की हत्या के बाद आचार्य गिरीराज किशोर का बयान छपा है कि विहिप को कोई मलाल नहीं है। पांच दलित मारे गए, उन पर विहिप को कोई मलाल नहीं है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यह असत्य बात रिकार्ड पर नहीं जानी चाहिए।

श्री रामजी लाल सुमन : आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुड़गांव के कमिश्नर उसकी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया लोग दोगी हैं और प्रशासन खड़ा तमाशा देखता रहा। पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की। लोगों को तितर-बितर करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। राज्य बनने का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे क्या अवधारणा थी, यही कि कोई किसी की जान न ले, कोई किसी का हक न मारे।

राज्य सबको सुरक्षा देने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी सवाल है। जब पुलिस चौकी से खींचकर इतने लोगों को मार डाला जाएगा तो लोगों का इस तंत्र से विश्वास उठ जाएगा। (व्यवधान) इससे ज्यादा गंभीर घटना और कोई नहीं हो सकती। विश्व हिन्दू परिद और बजरंग दल के लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम किया है। अब इनके निशाने पर दलित लोग बन गये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलना है, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा निवेदन है कि तत्काल वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से पूरे तथ्यों की जांच कराई जाए तब जाकर मामला प्रकाश में आएगा। ये जो साम्प्रदायिक लोग हैं, (व्यवधान) यह बहुत गंभीर घटना है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने झज्जर और बिहार दोनों पर नोटिस दिया है। झज्जर की घटना 15 तारीख की घटना है और उस दिन दशहरा का दिन था। ज्यों ही इस घटना का समाचार अखबार में आया, कि दलितों ने जिंदा गाय की खाल खींचने का काम किया है, जिसके कारण उनको मारा गया है। मैं सच्ची बात कहता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत अपनी पार्टी के वहां के अध्यक्ष कैप्टिन शमशेर सिंह मलिक को भेजा कि आप इस घटना के बारे में पता लगाओ। उन्होंने पता लगाने के बाद जो रिपोर्ट दी, कि यह बिल्कुल गलत है। 16 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दी और 17 तारीख को मैं वहां चला गया। मैं जब गया तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे मैंने कहा कि मैं जगह देखना चाहता हूँ। झज्जर से धुलिना पुलिस चौकी सात कि.मी. की दूरी पर है। वहां मैजिस्ट्रेट थे, उनसे कहा कि जो गाय मरी है, उसकी हड्डी कहां है? उसने कहा कि उसका कोई पता नहीं है। हमने कहा कि किसी आदमी ने रिपोर्ट तो दर्ज की होगी कि हमारी गाय चोरी हो गई है तो उसका भी कोई पता नहीं है। हमने कहा कि मारने वाले कहां के थे तो मालूम हुआ कि वे चार आदमी थे, जो बादशाहपुर के थे जो पचास कि.मी. की दूरी पर है और एक आदमी करनाल से है, जो 125 कि.मी. की दूरी पर है। हमने पूछा कि वे कैसे आए थे तो मालूम हुआ कि वे टाटा गाड़ी से आए थे। हमने कहा कि टाटा गाड़ी से आए थे और जब वहां किसी को मारा गया होगा तो किसी हथियार से मारा होगा, आपने क्या कोई हथियार बरामद किया - तो बताया गया कि कोई हथियार बरामद नहीं किया गया। हमने कहा कि वे

मारने के लिए आए तो थाना के बगल में सौ मीटर की दूरी को ही उन्होंने क्यों चुना और वह भी चार बजे शाम का समय और वह भी जिंदा गाय को मारने के लिए - इसका हमें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जब मालूम किया तो वहां का रहस्य पता चला। वहां पांच आदमी आए थे। उनमें से एक के पास 40,000 रुपया था। एक दूसरे के पास 10,000 रुपया था। एक तीसरे के पास 6500 रुपया था। ये सब वैल-टू-डू लोग थे और उनके पास लाइसेंस भी था। थाना का जो अलिखित नियम होता है, उसके मुताबिक उनको चैक-पोस्ट पर रोका गया। उनसे पैसा मांगा गया। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया गया तो उनको थाने के भीतर ले जाया गया और ले जाने के बाद उनको इतना मारा कि वे मर गये। यह घटना शाम चार बजे की है और झज्जर वहां से सात कि.मी. की दूरी पर है। वहां का एस.पी. माइनोंरिटी का है। वहां का डी.एम. शैड्यूल कास्ट का है। उनको चार घंटे के बाद मालूम हुआ। यदि भीड़ आ रही थी तो चार घंटे के बाद थाना में क्यों रखा गया? हमने मालूम किया था तो पता चला कि जब वे मर गये तो वहां से थाने का एक अफसर इस घटना को ट्विस्ट करने के लिए टेलीफोन करता है और मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा लेकिन खुराना साहब आप सब लोग संजीदा लोग हैं। आप वहां पता लगवाइए। वहां वीएचपी का एक नेता स्वामी परमहंस है और दूसरे बीजेपी के नेता रामचन्द्र हैं। (व्यवधान) मैंने जानकारी के लिए कह दिया। आप नाम ओमित कर दीजिएगा। मैंने कह दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपसे विनती है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम चाहते हैं और मुझसे विनती की गई है कि यहां गृह मंत्री उपस्थित होने चाहिए। इस विषय पर चर्चा बाद में हो सकती है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं इसमें कोई राजनीति नहीं लाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जब उनको टेलीफोन किया गया तो यह बात आई है कि वहां के कुछ लोग आए थे। आप जांच इन्क्वायरी द्वारा पता लगवाइए। यदि 10,000 की भीड़ आएगी तो जमीन रौंदी जाएगी और कहीं न कहीं पौधा भी दूटेगा लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ।

कही कुछ नहीं हुआ। श्री ओमप्रकाश चौटला जी हमारे बहुत पुराने साथी और मुख्य मंत्री है, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन पुलिस के बयान के आधार पर कह दिया कि ये

लोग गाय को मारने के लिए आए थे। इसलिए भीड़ इतनी उग्र हो गई और पुलिस इन लोगों को बचा नहीं पाई। एक राउन्ड भी फायरिंग नहीं हुई और किसी के उमर कुछ नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बादशाहपुर के लोगों को, वहां के सरपंच, श्री त्यागी, जो उच्च जाति के हैं और अन्य एक श्री भारद्वाज, जो गांव के प्रधान हैं और एक अन्य सरपंच, श्री वीरसिंह, जो दलित वर्ग के हैं - ये तीनों लोग हमारे साथ गिरफ्तारी में थे। उस वक्त जो लोग आए, उन्होंने कहा कि यह झूठ है, कोई धर्म का मामला नहीं है और कोई जाति का मामला भी नहीं है। इन लोगों को जान-बूझकर मारा गया गया। यहां इन लोगों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर और उनके परिवार के सारे के सारे लोगों ने गिरफ्तारी देने का काम किया है। मैं गिरिराज किशोर का नाम लेना चाहता हूँ। मल्होत्रा जी उनका बयान आया है कि गाय का आदमी से ज्यादा महत्व है। मैं एक आदमी की तुलना गाय से नहीं करना चाहता हूँ। यहां दिल्ली में एक्सीडेंट्स में रोज गाय मर जाती हैं, क्योंकि गाय को रोड्स पर किस तरीके से छोड़ दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि घटना की आफिसर से जांच नहीं हो सकती है। यह सैंटिमेंटल मामला है। पूरे देश में मीटिंग्स हो रही हैं। दलितों में आक्रोश है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध पक्ष के लोगों को इसको गम्भीरता से लेने का काम करना चाहिए।

महोदय, दूसरी घटना हमारे बिहार की है। बिहार के गया जिले में फतेहपुर प्रखण्ड है और उस प्रखण्ड में लक्ष्मीपुर एक गांव है। देवन पासवान हमारी पार्टी के उस प्रखण्ड के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके बाप तथा उनकी भाभी को एक नवम्बर को मार दिया गया। वे लोग दिन में अपना मकान बना रहे थे, एक छोटा सा घर बना रहे थे। एक आदमी वहां गया और कहने लगा कि मुझे 5,000 रुपए दो। उन्होंने कहा कि हम पांच हजार रुपए कहां से देंगे, हम तो घर बना रहे हैं। जब उन्होंने रुपए नहीं दिए, तो उस व्यक्ति ने शाम में जाकर सभी को गोली से भून दिया। दो दिनों तक लाश कुएं में पड़ी रही। बाद में पुलिस पहुंची, लेकिन दो दिन तक लाश कुएं में पड़ी रही। हम लोग जिस दिन गए, उस दिन वहां की सरकार के मंत्री, श्री शकील अहमद पहुंचे हुए थे। उनको मालूम नहीं था। हम लोग तीन तारीख को पहुंचे। दिवाली से एक दिन पहले पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीआईजी और एसपी को बुलाया। वे लोग आए। हमने पूछा - यह लाश दो दिन से कुएं में क्यों पड़ी हुई थी और लाश को निकालने के लिए आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा - हम लोग 4.30 बजे के बाद वहां नहीं जा सकते हैं। हमने पूछा - क्यों? उन्होंने कहा - इसलिए कि हमारे पास सेफ्टी नहीं है। हमने कहा - जब आपके पास सेफ्टी नहीं है, तो गांव में दलित के पास कैसे सेफ्टी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा आफिसर जाएगा, तो हथियार छीन लिए जाएंगे। हमने पूछा - तरीका क्या है? उन्होंने कहा - गांव के लोगों को दूसरी जगह पर बसा दें। हमने कहा कि कौन बसाएगा? हम लोग वहां लाश की इन्तजार में थे। यह भी मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामला बहुत गम्भीर है, इसीलिए मैंने इजाजत दी है।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। उसी जिले के कोच प्रखण्ड में दो लाशें लाई गईं, जो दलित वर्ग से थीं। मैं बताना चाहता हूँ, उन दोनों व्यक्तियों में से एक मिस्त्री था और एक मजदूर। यह पूछे जाने पर कि इनको क्यों मारा गया, तो बतलाया गया कि वह ट्रायल कर रहा था कि गोली का निशाना सही लगता है या नहीं। मैं पूछता हूँ, इस देश में गरीब को, दलित को जीने का अधिकार है या नहीं? हम लोगों यहां संसद में बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि 1977 में जब बेलछी की घटना हुई थी, जिसमें सात-आठ लोग मारे गए थे, उस समय श्री मोरारजी देसाई देश के प्रधान मंत्री थे। नियम 184 के अधीन सेंसर मोशन पर चर्चा हो रही थी और कांग्रेस की तरफ से जब वोटिंग का सवाल आया, तो श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि वोटिंग का सवाल नहीं है, यह देश के लिए कलंक की बात है, हम लोग इस प्रस्ताव को पास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय कि आज आप आसन पर बैठे हुए हैं, जिस तरह की घटना झज्जर और बिहार में हुई है, वह कोई मामूली चीज नहीं है, पांच आदमियों को जिन्दा जला दिया गया, उनसे जीने का अधिकार छीना गया और बिहार में भी छीना जा रहा है, देश के हर भाग में इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं।

इसलिए चेयर की तरफ से यह प्रस्ताव आना चाहिए और पार्लियामेंट में डिसकशन ही नहीं होना चाहिए बल्कि सीधे भारत सरकार की रेसपोसिबिल्टी है, चाहे अकलियतों, दलितों या कमजोर वर्गों का मामला हो, उसका संवैधानिक दायित्व भारत सरकार के उमर है, भारत सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। जो सरकार दलितों और अकलियतों की रक्षा नहीं कर सकती है, उसे नियम 356 के अंतर्गत बर्खास्त करना चाहिए। (व्यवधान) यह किसी पार्टी की बात नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आपके नेता के संबंध में वे क्या कहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दलित की हत्या हो और उसकी तुलना एक गाय से करें तथा उसके मारने वाले के खिलाफ पुलिस जब कार्यवाही करती है, रोड पर चक्का जाम किया जाता है और कहा जाता है कि हम थाने में आग लगा देंगे। अगर इस तरह की वारदातें होती रहीं तो देश कहां जाएगा, हमें पता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे सदन को इसे सीरियसली लेना चाहिए और चेयर को भी इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, दुलीना और झज्जर में जो हत्याकांड हुआ है, इसकी हम सब लोग निन्दा करते हैं। भारत के सभी लोग एक हैं, इस तरह जब अन्याय होता है, इस तरह की भावना देश में पैदा करने की आवश्यकता है। सवाल इतना ही है कि वहां के जो दलित लोग हैं, वे मरी हुई गाय का चमड़ा उतारने का काम ट्रेडिशनल पद्धति से हर गांव में करते हैं। वह गाय मरी होने के बावजूद भी जिन्दा है। वह इस तरह प्रचार करते हैं कि गाय हमारी माता है, यह ठीक बात है। अगर आपकी गाय माता होगी, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दुलीना में मरी गाय थी, इस तरह का स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी का तथा अन्य लोगों का है। इसके बावजूद वहां चार-पांच हजार लोग जमा हुए, ऐसा उनका कहना है। वहां पांच लोगों की हत्या हुई है। (व्यवधान) हमारा इतना ही कहना है कि अगर गाय या किसी अन्य जानवर hdt चमड़ा उतारने के बाद इस तरह दलितों की हत्या होगी तो हमें देश के दलितों को बताना होगा कि गांव में जब जानवर मरता है तो जिनका जानवर मरेगा, उसे उसका चमड़ा उतारने का काम करना चाहिए। मैं दलितों को अपील करता हूँ कि इस तरह का जो काम है, उसे बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने हमें छोड़ने के लिए कहा है। हम लोगों को अपना-अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह हत्या नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला जी वहां थोड़ी लेट गए थे। जब वे गए थे तो वहां चार-पांच लोग मरे हुए थे। (व्यवधान) उन्होंने उन्हें पांच लाख रुपया देने की बात की, मगर पांच लाख रुपया देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर कोई भी मरता है तो उसके बारे में सिमपैथी रखनी चाहिए। विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने एनाउंस कर दिया। अगर गाय के बारे में कोई इस तरह की कार्यवाही करेगा, इस तरह हत्या होगी और आप हमारे लोगों की हत्या करेंगे तो हम भी अपने हाथ में हथियार लेकर हत्या कर सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह हत्या करना हमें बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने नहीं सिखाया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले : हमने शांति स्वीकार की है, हम क्रांति और संघर्ष करना भी जानते हैं। इस तरह की हत्या इसके बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सरकार से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से अपील करते हैं, आपकी सरकार दलितों की रक्षा करने वाली है या नहीं और चौटाला जी की सरकार दलितों की रक्षा करने वाली है या नहीं। अगर यह सरकार दलितों की रक्षा नहीं करती है तो वहां के मेम्बर्स को हमारे साथ आना चाहिए। सुशील कुमार इंदौरा जी भी एस सी के हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE (SOLAPUR): Mr. Speaker, Sir, we both have signed the notice for discussion under

Rule 193. So, I must also be given an opportunity to speak on this matter.

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, हरियाणा के झज्जर में जो घटना हुई, उसे आज चालीस दिन हो गये हैं। इस घटना ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। सभी सांसदों के आवाज उठाने पर हमें उस पर बोलने का मौका मिल रहा है। इस घटना के कारण हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। होना तो यह चाहिए था कि सदन के पहले ही दिन माननीय गृह मंत्री महोदय को एक Suo-Moto-Statement देना चाहिए था जिससे दलितों को असलियत का पता चलता और उनके दिलों को शांति पहुंचती। लेकिन दुःख की बात है कि भारत सरकार का रवैया पक्षपाती रहा है और इस मामले को जितनी गंभीरता से उसे लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। गृह मंत्री ने भले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि हम दोगी को बचने नहीं देंगे, लेकिन दोगी को हाथ कौन आने देगा?

माननीय रामविलास पासवान जी और सुमन जी ने जैसा बताया कि वहां पर कोई गाय नहीं थी बल्कि पांच लोग चमड़े का ट्रक लेकर जा रहे थे। पुलिस स्टेशन के सामने उस ट्रक को रोका गया और उन लोगों से पैसे मांगे गये। इन्होंने सारी घटना का विवरण दे दिया है कि कोई गाय मारे जाने की बात नहीं थी। एक एफआईआर में पांच मृतकों के बारे में कहा गया है कि इन्हें भीड़ ने मार दिया है। विश्व-हिंदू-परिषद ने जो एफआईआर दर्ज करायी है, उसमें उन पांचों के बारे में कह दिया गया कि वे गाय के हत्यारे थे, इसलिए भीड़ ने उनको मार दिया। लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया। पहली बात तो मुख्यमंत्री जी के नाते वे घटना-स्थल पर ही नहीं गये। शायद उनको यह घटना महत्वपूर्ण नहीं लगी कि जाकर मृतकों को देख सकें और स्थिति को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गाइडलाइन दे सकें। वहां पर देश भर से नेता गये। माननीय सोनिया जी भी वहां पहुंची, मृतकों के परिवार वालों से मिलीं, मृतकों के परिवार वालों ने इस बात को तस्दीक किया कि कोई गाय नहीं मरी। उस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और बाकी चारों को थाने लाया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति गाय की खाल नहीं उतार रहा था और न ही उस समय कोई मरा हुआ पशु उनसे रिकवर हुआ। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी छाप दी गयी। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में भी लिखा है कि वह 24 घंटे पहले मरे हुए पशु की थी। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले पुलिस ने पैसा मांगा और नहीं देने पर उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गयी। उस कत्ल को छिपाने के लिए गुरुकुल में आदमी भेजे गये, लोगों को भड़काया गया, भीड़ के सामने पांच लोगों को छोड़ दिया गया और उनको मरवा दिया गया। इस घटना का विवरण पंजाब और हरियाणा के सारे अखबारों में छपा है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया हो कि इस घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती है, जब वह चीफ-कमिश्नर से इन्क्वायरी की बात करते हैं तो उस राज्य का चीफ-कमिश्नर क्या इन्क्वायरी करेगा। इसलिए यह इन्क्वायरी जनता के साथ और दलितों के साथ एक धोखा है।

माननीय सोनिया गांधी जी ने मांग की थी कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। ह्यूमन राइट्स कमिशन और हरियाणा के 32 दलों ने भी मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उसके बाद माननीय रामविलास पासवान जी, सीपीएम के वरिष्ठ नेता और अन्य पार्टियों के नेता भी घटना-स्थल पर गये। महोदय, मेरा कहना है कि जब तक इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है लोगों में रोना बढ़ता जाएगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए हमने जो नोटिस दिया है, उसके अन्तर्गत इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि सदन के सभी सदस्यों को इस पर बोलने का मौका मिल सके और सब लोग सच्चाई तक पहुंच सकें। दूसरा, जिन संगठन के लोगों ने इन पांच दलितों की हत्या की, उनको दंड दिया जाए। **â€(‹(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में छपा है कि हरियाणा पुलिस मृतकों के परिवार वालों को ह्रास और टैराइज कर रही है। सुनने में यह भी आया है कि समझौते की कोई योजना बनायी गई है और गुरुकुल के लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि जांच के पहले इस मामले को मिट्टी में दबा दिया जाए। मेरी प्रार्थना है कि सदन में इस सच को खोल कर रखना चाहिए। भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मामले को स्वयं देखे। माननीय उपप्रधान मंत्री खुद इसकी जांच कराएं या सीबीआई से जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट सभा पटल पर रखें ताकि उस पर बहस हो सकें। सदन इस बात का फैसला करे। दलितों की हत्या इतने बड़े पैमाने पर जहां हो रही हैं, उन पर रोक लगे। बिहार और तमिलनाडु में भी दलितों की हत्याएं हुईं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सदन की गाइडेंस ली जाए। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करायी जाए। **â€(‹(व्यवधान)**

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई नियम होना चाहिए। हम इनके सारे भाण आराम से सुनते हैं लेकिन जब इधर से कोई बोलना शुरू करता है तो सब खड़े हो जाते हैं। **â€(‹(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया हाउस में शांति बनाए रखें। हरेक को बोलने का अधिकार है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, वहां जिन दलितों की हत्या हुई, मैं उनकी घोर निन्दा करता हूँ। सारे सदन को उसकी घोर निन्दा करनी चाहिए। यह वीभत्सपूर्ण घटना है। इस प्रकार की घटनाएं सारे देश के लिए बहुत शर्म की बात हैं। देश भर में कोई दलित जिन्दा गाय की खाल नहीं खींचता है। देश में कहीं जिन्दा गाय की स्कीन उतारी जाती हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसलिए यह कहना गलत है। **â€(‹(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, यह भी सत्य है कि मरी गाय की खाल अगर कुछ लोग न उतारें तो उसे कोई और उतारने वाला नहीं है, यह बात भी आपने ठीक कही। वह गाय मरी हुई थी या नहीं, यह जांच का विषय है। यह गलत है कि कोई दलित गाय की हत्या करके गाय का मांस नहीं खाता है। इसे लेकर क्या घटना हुई, मैं इनसे सहमत हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर यह जांच से सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि इसकी दूसरे तरीके से जांच हो या न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पूरी तरह प्रकट हो सके।

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : I am really supporting him, if he really desires. It is because Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad have come in. **â€(‹(Interruptions)** Prof. Malhotra is very right. That is why I have been saying this. Under Rule 193, I have given a notice. हम इस मामले की जुडिशियल एनक्वायरी करवाने का समर्थन करते हैं। **â€(‹(व्यवधान)**

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि नियम 193 के अन्तर्गत पूरे दिन हाउस में दलितों के सारे सवालों पर जरूर विचार होना चाहिए जिस से सदन के सारे सदस्य इसमें भाग ले सकें। मुझे दो-तीन बातों पर आपत्ति है - एक बात पर आपत्ति है **â€(‹(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जब इस विषय पर चर्चा होगी, उस समय आप इस पर बोलिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। जिन बातों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उनके बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उस पूरे इलाके में विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल का अस्तित्व ही नहीं है। वहां विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल का कोई बहुत भारी संगठन ही नहीं है।

ऐसी बात नहीं है **â€(‹(व्यवधान)** I am going to **â€(‹(व्यवधान)**

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : In every paper it has been mentioned...(Interruptions) What is this? ... (Interruptions) This is a set of papers from the Parliament Library, which has clippings from all the papers... (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे अपनी बात कहने दो। अगर कोई ऐसा वक्तव्य है और मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि किसी पशु या आदमी की जिन्दगी का मुकाबला किया जाये, वह भी ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : तब आप कंडेम क्यों नहीं करते हो?

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश जी, आप बैठिये।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों, चाहे वे कांग्रेस पार्टी से हों, समाजवादी पार्टी से हों, से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनमें एक दलित और बाकी चार दूसरे थे। उन्हें पकड़ने के बाद वहाँ की 400-500 गांवों की पंचायतों ने रास्ता रोक लिया और बाकी सब कुछ कर दिया गया। जब कभी वैसी बात आती तो कहते कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सारी पंचायतों में बहुमत है और ये कहते हैं कि कांग्रेस का वहाँ पूरा का पूरा अधिकार है। अगर कांग्रेस का उन पंचायतों पर अधिकार है तो इनके सदस्य वहाँ क्यों रास्ता बंद कर रहे हैं? जब वहाँ बी.जे.पी. नहीं है, वी.एच.पी. नहीं है, फिर कांग्रेस के लोग रास्ता क्यों रोक रहे हैं?

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE : It has nothing to do with law and order... (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इन से पूछता हूँ कि जब इनके नेता चौ. भजन लाल वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि सारी पंचायतों में उनका बहुमत है, फिर रास्ता क्यों बंद किया गया, वहाँ पर इस तरह का माहौल क्यों पैदा किया गया? It is a very serious thing... (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, it is not the issue of Congress or BJP, but it is the issue of Dalits... (Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, वहाँ की 300 गांवों की महापंचायतों में कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I support Prof. Malhotra as far as his first part is concerned, but as far as his second part is concerned, we do not agree with him... (Interruptions)

MR. SPEAKER: You may not agree with him, but he has to speak. श्री मलहोत्रा जी, आप कनक्लूड कीजिये।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहाँ कांग्रेस का सवाल नहीं है। मैं हाथ जोड़कर इन से रिक्वैस्ट कर रहा हूँ कि यह पार्टी का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : लेकिन अखबारों में छपा है और आपको मनाने की बात हो रही है। (व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ। यह सवाल कांग्रेस, बी.जे.पी. या समाजवादी पार्टी का नहीं, यह दलितों पर होने वाले अत्याचार और उनकी हत्या का सवाल है। वहाँ इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि 300 गांवों की पंचायतें मिलकर रास्ता बंद कर रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मलहोत्रा जी, वहाँ इसके पहले भी इनके पक्ष में पंचायत हुई है। रास्ता रोकने के लिये हर गांव के लोगों की जरूरत नहीं है। इसके लिये मुट्ठीभर लोग काफी हैं। इसलिये पूरे गांवों का नाम मत लीजिये।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : लेकिन टी.वी. पर दलितों को, दलित सरपंचों और उनके लोगों को दिखाया जा रहा है। इसे राजनैतिक सवाल मत बनाइये। (व्यवधान) I am not diluting... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : श्री मलहोत्रा को बोलने दीजिये, यह उनका अधिकार है।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग करेंगे और नाम बी.जे.पी. का लेंगे कि उस पर बैन लगा दो, यह कहां का न्याय है? अभी वहाँ और बातें हो रही हैं। इसका लाभ उठाकर धर्मान्तरण कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्मान्तरण कर दिया, सब लोग वहाँ छोड़ दो। वहाँ विदेश से लोगो को लाकर कराया जा रहा है जब कि उन पांचों परिवारों ने कहा है कि हमने कोई धर्मान्तरण नहीं किया लेकिन वहाँ फोटो दिखाये जा रहे हैं। बड़े-बड़े नेता लोग वहाँ जा रहे हैं। असल में इसके अंतर्गत होने वाली गौ-हत्या की बात बढ़ाने की बात की जा रही है। मैं कहता हूँ कि आप लोग ऐसी बातें मत करिये।

मैं कहता हूँ कि इस तरह की बातें मत करिये। दलितों के सवाल को गोहत्या के साथ न जोड़ा जाए और न दलितों के सवाल को धर्मान्तरण के साथ जोड़ा जाए। इसलिए मैं इन तीनों बातों का समर्थन करता हूँ। आप नियम 193 में इस पर पूरी बहस कराइये। वहाँ के लोग इस केस की जैसी इक्वायरी चाहते हैं, वैसी इक्वायरी कराई जाए और दोगियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। यह सवाल सारे देश, संसद और सभी लोगों के लिए महत्व का सवाल है, इसे राजनीतिक दलबंदी में मत खींचिये। (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया है। (व्यवधान) अभी यह खुद कह रहे हैं कि क्राउड कंट्रोल नहीं हो रही है। सैन्टर में इनकी सरकार है, वहाँ उनके सहयोगी हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं होता है। जहाँ चार बजे इंसीडेंट हुई, छः बजे मर्डर होता है, तब तक पुलिस क्या कर रही थी। कुछ नहीं किया, कनाइवैन्स कितनी है। मैं कहता हूँ कि आज भी सब रास्ते बंद हैं। पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। If the State administration has failed, is it not the duty of the Central Government to intervene? Now, this is the perfect time to intervene. आप इसे साधारण रूप में मत लीजिए। क्योंकि बी.जे.पी. और विश्व हिन्दू परिषद का नाम जिसमें आया है। मेरे पास इतनी प्रैस कटिंग्स हैं, यह पार्लियामेंट लाइब्रेरी के पेपर्स हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिये।

â€¦ (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार शिंदे : ये नाम उन्हें इन्द्रोस्पेक्शन करके देने चाहिए और इसकी अर्जेन्टली जूडीशियल इक्वायरी होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिये। देखिये यह विाय सचमुच बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर गृह मंत्री जी का उत्तर भी आना चाहिए। आप लोगों ने नियम 193 में चर्चा कराने का सजेशन दिया है। मैं जानता हूँ कि ऐसे विाय पर पूरे डिटेल में चर्चा होने की जरूरत है। हम इस विाय को बी.ए.सी. में रखेंगे और जल्दी से जल्दी इस पर चर्चा किसी न किसी फोरम में लगाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें सहकार करें। मेरे पास ऐसे ही 26 महत्वपूर्ण विाय हैं, जिन विायों पर लोगों ने प्रश्न उठाने हैं। हर सांसद का विाय महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि इनमें भी कुछ न कुछ विाय सदन और जनता के सामने आने की जरूरत है और इसलिए सब लोग चाहेंगे कि जो विाय चालू है उस पर चर्चा करें, क्या यह बात गलत होगी। एडजर्नमेंट मोशन था, मैंने शुरुआत में सोचा कि मैं केवल तीन लोगों को इजाजत दूंगा, लेकिन दूसरे भी पांच-छः लोगों को मैंने परमीशन दे दी। इस विाय पर मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी चर्चा की जरूरत है। अब हम दूसरे विाय पर आ जाएं। देखिये जब नियम 193 में चर्चा होगी तो मैं दूसरे लोगों को चांस दूंगा।

â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां किसान तबाह और बरबाद हो रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न को लेने के लिए आप मुझे कोऑपरेट करिये। ऐसे विाय पर चर्चा होने की सख्त जरूरत है। दलितों पर अन्याय हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जब चर्चा होगी तो उसका उत्तर आना चाहिए। मंत्री जी अचानक यहां उत्तर नहीं देंगे। मैं इस विाय पर चर्चा जरूर कराऊंगा। आप सब लोग मेरे साथ सहकार करें। अभी मेरे सामने यहां दूसरा विाय किसानों के बारे में है, वह विाय मैं ले रहा हूँ। Otherwise, it is one o' clock now. I may adjourn the House for Lunch.

...(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, please give me only one minute. ...(Interruptions)